

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पोस्टासन अधिकारी लोक अदालत/केम कोर्ट) कैम्प

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

नयन तहसीलदार

की धनराशि के आधार

पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार से ग्राम

तहसील

में वर्तमान में

जिला की जमाबन्दी संख्या

में खाता संख्या

में वर्तमान में

दज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुरु किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दायमद के आदेश नये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	श्रीदारा कला	140	श्रीदारा कला	श्रीदारा कला
		261	श्रीदारा कला	श्रीदारा कला
		102, 103	श्रीदारा कला	श्रीदारा कला
		310	श्रीदारा कला	श्रीदारा कला

प्रधान अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 01/6/20

क्रमांक :- 89

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दायमद शीघ्र किया जाकर

पारदर्शी रिपोर्ट भिजवाये।

2. प्रार्थी को सूचनाएं।

3. रचित पत्रावली।

प्रधान अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर